International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 8.141
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol. 12 No.2 Nov-Dec 2024

छत्रपति शिवाजी के शासनकाल में मराठा साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना का अध्ययन

अजय यादव
नेट, एम.फिल., पीएच.-डी. सबमिटेड , सहायक प्राध्यापक (इतिहास विभाग)
एस. एस. मेमोरियल पी. जी. कॉलेज, ताखा, इटावा (उ.प्र.)
Corresponding Author: अजय यादव
DOI- 10.5281/zenodo.14671526

सारांश :

आधुनिक भारतीय इतिहास में छत्रपति शिवाजी के शासनकाल का प्रशासनिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। मराठा साम्राज्य की स्थापना के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक कुशल, सुसंगठित और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था भी स्थापित की। मराठा प्रशासनिक संरचना में मुख्य रुप से आठ घटक हैं जिन्हें 'अष्ट-प्रधान' कहा जाता है। शिवाजी के शासनकाल में विकसित इस प्रशासनिक प्रणाली ने न केवल उनके समय में बल्कि उनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक प्रशासन में मराठा प्रशासनिक प्रणाली की प्रासंगिकता और प्रभावशीलता का अध्ययन समीचीन है। इस शोध पत्र का उद्देश्य शिवाजी के शासनकाल में मराठा साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना का अध्ययन करना और उसकी विशेषताओं, प्रभावों और ऐतिहासिक महत्व को समझना है।

मुख्य शब्दावली: अष्ट-प्रधान, समीचीन, प्रासंगिकता, राजस्व, संवाद, अनुष्ठान, हूण, मस्तूल, दुर्भिक्ष, विकेंद्रीकरण, दूरदर्शिता, चिटनिस आदि।

प्रस्तावना :

छत्रपति शिवाजी महाराज ने 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की स्थापना की, वे न केवल एक अच्छे सेनानायक ही थे वरन् एक उच्च कोटि के सफल प्रशासक भी थे। आधुनिक भारतीय इतिहास में शिवाजी अपनी कुशल प्रशासनिक व्यवस्था के लिए विख्यात हैं। मराठा इतिहास विशेषकर शिवाजी के बारे में जानने के लिए 1649 ई. में सभासद द्वारा लिखित मराठी ग्रंन्थ **'बाखर'** प्रमुखतम रचना है । इसके अलावा जयाराम पिण्डे की रचना **राधामाधव विलास चम्पू** ,भीमसेन की फारसी रचना **नुस्खा-ए-दिलकुशा** ,रामचंद्र पंत महामात्य कृत **'शम्भाजी का अदनापात्र' व 'मराठाशाहितिल'** राजनीति के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं । उनकी शासन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य एक सुव्यवस्थित और न्यायपूर्ण प्रशासन सुनिश्चित करना था।

शिवाजी के समय मराठों की प्रशासनिक व्यवस्था :

छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना कर एक प्रभावशाली प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। उनका शासनकाल न केवल युद्ध और विजय के लिए बल्कि कुशल शासन और संगठनात्मक दृष्टिकोण के लिए भी याद किया जाता है। उनकी प्रशासनिक प्रणाली का उद्देश्य शक्ति का विकेंद्रीकरण, किसानों और आम जनता का उत्थान, और सैन्य शक्ति का विस्तार था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना के लिए एक संगठित और कुशल प्रशासनिक प्रणाली विकसित की। उनका प्रशासन पारंपरिक और आधुनिक तत्वों का एक संयोजन था। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था उनकी प्रजा की भलाई, राज्य की रक्षा और कुशल प्रबंधन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। उन्होंने शासन के हर क्षेत्र में अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित की । शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था को मुख्य रूप से चार भागों में विभाजित किया जा सकता है : केन्द्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, सैन्य व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था।

1.केन्द्रीय प्रशासन

शिवाजी ने एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली विकसित की, जिसमें राजा सर्वोच्च शासक था। वह न केवल प्रशासन का प्रमुख था बल्कि सैन्य और न्यायिक मामलों में भी अंतिम निर्णय लेने वाला था। उसकी सहायतार्थ एक सलाहकार के तौर पर अष्ट-प्रधान परिषद् का गठन किया गया था ।

अष्ट-प्रधान परिषद :

शिवाजी ने अष्ट-प्रधान नामक आठ मंत्रियों की एक परिषद बनाई, जो शासन के विभिन्न पहलुओं का संचालन करती थी। अष्ट-प्रधान मंडल मराठा प्रशासन की रीढ़ थी। इसके आठ मंत्री प्रशासन के अलग-अलग क्षेत्रों को नियंत्रित करते थे। इसमें शामिल पद और उनके कार्य निम्नलिखित थे -

पेशवा : शासन का प्रधानमंत्री और राजा का मुख्य सलाहकार था जोकि समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता था। यह नागरिक और सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी था। इस पद पर बड़े व्यक्तित्व वाले राजभक्त और स्वामिभक्त की ही नियुक्ति होती थी। वेतन के रूप में इसे 15000 हूण प्रति वर्ष मिलता था ।

अमात्य : वित्त मंत्री, जो राज्य के खजाने और राजस्व प्रबंधन का कार्य देखता था । इसे 'मजूमदार' भी कहा जाता था । वेतन के रूप में इसे 12000 हूण प्रति वर्ष मिलता था ।

मंत्री(बाकिया नवीस) : राज्य सचिव, घरेलू और प्रशासनिक मामलों का प्रमुख। यह दरबार की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण भी रखता था ।

सुमंत : विदेश नीति और राजनयिक संबंधों का प्रमुख अर्थात विदेश मंत्री, इसका वही कार्य था जो मुगल दरबार में 'दबीर' था । यह शिवाजी को विदेशी मामलों में तथा शत्रु से युध्द और संधि के मामलों में सलाह देता था ।

सचिव(सुरनिस/शुरु-नवीस) : सभी महत्वपूर्ण आदेशों और निर्णयों का रिकॉर्ड रखने वाला राजकीय पत्राचार का प्रबंधक। इसे परगनों आदि की आमदनी का हिसाब भी रखना पड़ता था ।

पंडितराव : दान, धार्मिक मामलों, धार्मिक संस्थाओं और अनुष्ठानों का संचालक।

सेनापति(सर-ए-नौबत) : सेना का नेतृत्व और युद्ध योजनाओं का निर्माण करने वाला सेना प्रमुख। सैनिकों की भर्ती, सैन्य संगठन ,प्रशिक्षण, अनुशासन, रसद, युध्द योजना आदि सेना संबंधी कार्यों को यही देखता था। सेना द्वारा लूटकर लाये गये धन का हिसाब यही रखता था।

न्यायाधीश : न्यायिक एवं कांनूनी मामलों का प्रमुख जोकि दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों को सुनता था। हिन्दू धर्मशास्त्रों तथा परंपराओं के अनुसार निर्णय होता था ।

पेशवा और अमात्य को क्रमश: 15000 तथा 12000 हूण वार्षिक तथा शेष छ: मंत्रियों को वेतन के रूप में 10000 हूण प्रति वर्ष मिलता था ।यह परिषद सलाहकार मंडल के रूप में कार्य करती थी, लेकिन अंतिम निर्णय शिवाजी का ही होता था। शिवाजी के अधीन अष्ट-प्रधान के सभी पद न तो स्थायी थे और ऩ ही आनुवंशिक थे । सभी अधिकारियों का स्थानानंतरण भी किया जाता था । उनके लिए जागीर की व्यवस्था नहीं थी बल्कि नकद वेतन दिया जाता था ।

2. प्रांतीय प्रशासन

शिवाजी ने अपने अधीन साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया, जिन्हें सूबा कहा जाता था। प्रत्येक सूबा के प्रमुख को सूबेदार कहा जाता था। सूबेदार के अधीन तहसीलें होती थीं, जिनका प्रमुख हवलदार था। गाँव स्तर पर पाटिल और कुलकर्णी जैसे स्थानीय अधिकारी नियुक्त किए गए थे। शिवाजी ने अपने राज्य को सूबा (प्रांत) में विभाजित किया, जिन्हें कुशल अधिकारियों के माध्यम से संचालित किया जाता था। जिनका विवरण इस प्रकार है :-

सूबेदार : प्रांत का प्रमुख अधिकारी।

हवलदार : तहसील या जिले का अधिकारी।

कुलकर्णी : राजस्व और लेखा का अधिकारी।

पाटिल : ग्राम स्तर का प्रमुख, जो गांव के प्रशासन और कर वसूली का कार्य करता था। ग्राम पंचायतें स्थानीय विवादों को हल करती थीं और निचले स्तर पर प्रशासन को नियंत्रित करती थीं।

3. सैन्य व्यवस्था

शिवाजी की सैन्य व्यवस्था अत्यंत संगठित और अनुशासित थी। उन्होंने अपनी सेना को कई भागों में विभाजित किया और उसमें मराठा योद्धाओं के साथ-साथ अन्य जातियों के सैनिकों को भी शामिल किया। सेना में पैदल सेना, घुड़सवार सेना और नौसेना शामिल थीं। नौसेना को विशेष महत्व दिया गया, जिससे शिवाजी पश्चिमी तट पर अपनी पकड़ मजबूत कर सके। उन्होंने सैनिकों को नकद वेतन दिया और जागीर प्रणाली को समाप्त करने की कोशिश की। शिवाजी की सैन्य व्यवस्था उनकी सबसे बड़ी ताकत और शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी। शिवाजी ने सैनिकों को अनुशासन में रखने के लिए कठोर नियम लागू किए। उनकी सेना अनुशासन, प्रशिक्षण और रणनीति में अद्वितीय थी। उनकी सैन्य प्रणाली निम्नलिखित भागों में विभाजित थी -

स्थायी सेना : उन्होंने अपनी सेना को प्रशिक्षित और अनुशासित किया।

घुड़सवार सेना : उनकी सेना का मुख्य हिस्सा घुड़सवार सेना थी। ये सैनिक 'बरगीर' कहे जाते थे । 'सिलेदार' सैनिकों को सेवा के बदले लूट में हिस्सा दिया जाता था।

पैदल सेना : दुर्गों और स्थलीय लड़ाई में प्रशिक्षित सैनिक जिनमें छापामार श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ सैनिक भी शामिल होते थे ।

शिवाजी की पैदल सेना में सर-ए-नौबत, नामक, पायक, हवलदार, जुमलादार, एक हजारी आदि सैन्य अधिकारी भी शामिल थे।

नौसेना : शिवाजी ने भारतीय इतिहास में पहली संगठित नौसेना का निर्माण किया। उनकी नौसेना कोंकण और पश्चिमी तट पर दुश्मनों के हमलों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण थी। इस सेना में घुराब अर्थात् बंदूक से लैस नाव तथा गल्लिवत अर्थात् दो मस्तूल और पचास पतवार वाली खेने वाली नावें शामिल होती थीं।

गढ़ व्यवस्था: शिवाजी ने 300 से अधिक किलों का निर्माण और पुनर्निर्माण किया। गढ़पाल और किले के अन्य अधिकारी किले की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे।

छापामार युद्ध प्रणाली : शिवाजी ने छापामार युद्ध तकनीक (गुरिल्ला युद्ध पध्दति) को अपनाया, जिसने उनकी सेना को दुश्मन पर निर्णायक बढ़त दी।

4. राजस्व व्यवस्था

भूमि की उर्वरता और उत्पादन के आधार पर कर निर्धारण किया जाता था। शिवाजी की राजस्व प्रणाली किसानों के कल्याण पर आधारित थी। भूमि को मापने और उसके आधार पर कर तय करने की प्रणाली अपनाई गई । 'काठी' नामक मापदण्ड से भूमि की पैमाइश की जाती थी । भूमि को उत्तम, मध्यम और हीन तीन श्रेणियों में बाँटा गया था । इसी आधार पर लगान भूमिकर उपज का 30% से 40% तक लिया जाता था । किसानों से चौथ (राजस्व का 25%) और सरदेशमुखी (10%) लिया जाता था। राजस्व

वसूली में अन्याय से बचने के लिए अधिकारियों की नियमित निगरानी होती थी। जिनमें चौथ - शत्रु राज्यों अर्थात मुगलों के अधीन क्षेत्रों से वसूला जाने वाला कर। सरदेशमुखी - यह एक अतिरिक्त कर था, जो कुल राजस्व का 10% होता था । साथ ही शिवाजी ने यह भी सुनिश्चित किया कि किसान कर का बोझ झेलने में सक्षम हों और प्राकृतिक आपदाओं के समय उन्हें कर से राहत दी जाए। शिवाजी ने जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की और राजस्व को सीधे राज्य के खजाने में जमा करने की व्यवस्था की।

5. न्याय व्यवस्था

शिवाजी ने न्याय प्रणाली में सुधार किया। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था। स्थानीय स्तर पर विवादों को सुलझाने के लिए ग्राम पंचायतें थीं। शिवाजी ने सभी के साथ समान व्यवहार और न्याय सुनिश्चित किया। शिवाजी ने एक सशक्त और प्रभावी न्यायिक व्यवस्था लागू की। न्याय का अंतिम अधिकार राजा के पास था। ग्राम स्तर पर पंचायतें छोटे विवादों को सुलझाने के लिए जिम्मेदार थीं। शिवाजी ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे न्याय करते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें। 'पटेल' नामक अधिकारी फौजदारी मुकदमे का निर्णय करते थे । दीवानी और फौजदारी मुकदमे की सुनवाई न्यायाधीश ही करता था । न्याय व्यवस्था का आधार हिन्दू धर्मशास्त्र थे।

6.धार्मिक और सामाजिक न्याय

हिन्दू धर्म में आस्था रखते हुए शिवाजी दूसरे धर्मों के प्रति उदार तथा सहिष्णु थे। उन्होंने धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सभी जातियों और वर्गों को समान अवसर प्रदान किया। धर्मनिरपेक्ष नीतियां और धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया। विभिन्न वर्गों और समुदायों के साथ समानता का व्यवहार किया। अपने राज्य में मुस्लिमों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी थी तथा वह पीरों और मस्जिदों का आदर करते थे । वे 'मुस्लिम स्त्रियों' और 'कुरान' का आदर हिन्दू महिलाओं और ग्रंन्थों की भाँति ही करते थे। 'बाबा याकूत' की मजार उन्हीं की धार्मिक सहायता से बनी थी । उन्होंने अपनी प्रजा के लिए उचित सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया।

प्रशासन के मुख्य सिद्धांत :-

केंद्रीयकरण :

शिवाजी ने सत्ता का केंद्रीकरण किया और प्रशासनिक निर्णयों में राजा को सर्वोच्च स्थान दिया। राज्य की सारी शक्तियाँ शिवाजी के हाथों में केंद्रित थी अर्थात् समस्त प्रशासन की धुरी शिवाजी स्वयं थे। उनके ऊपर किसी का प्रतिबंध अथवा नियंत्रण नहीं था। उनके आदेशों का सभी को पालन करना पड़ता था। पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं पदच्युत का अधिकार भी शिवाजी को ही था। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से वे समकालीन तानाशाहों से बिल्कुल भिन्न थे ।

सामाजिक न्याय :

शिवाजी ने अपनी प्रजा के लिए उचित सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया तथा सभी जातियों और वर्गों को समान अवसर प्रदान किया। जनता के साथ भेदभाव न करने के अधिकारियों को सख्त निर्देश थे। शिवाजी का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होता था। गांव वालों के झगड़ों का फैसला ग्राम-पंचायतों किया करतीं थीं।

धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण :

शिवाजी का शासन सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता पर आधारित था। उन्होंने मुस्लिम सैनिकों और अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। उन्होंने धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया।

कृषि और किसानों का उत्थान :

उनकी प्राथमिकता किसानों को संरक्षण और सुविधा प्रदान करना था। उन्होंने किसानों को कर के बोझ से सदैव मुक्त रखा। दुर्भिक्ष और अतिवृष्टि के कारण कृषकों को उत्तम बीज, बैल व कृषि उपकरणों व साजो-सामान के लिए अनुदान दिया जाता था। कम ब्याज वाले ऋण भी दिये जाते थे ।

शिवाजी के शासनकाल की मुख्य विशेषताएँ :-

कुशल प्रशासन :

शिवाजी न केवल वीर योद्धा बल्कि एक कुशल व सफल शासक भी थे । उन्होंने अपने शासन में स्पष्ट नियम और कानून बनाए। उनमें शासकीय प्रतिभा और कुशल नेतृत्व के गुण कूट-कूट कर भरे थे। उन्होंने प्रशासनिक तंत्र को व्यवस्थित किया, जिसमें सभी अधिकारियों के कार्य निर्धारित थे।

धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण :

शिवाजी का शासन सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति पर आधारित था। उन्होंने मुस्लिम सैनिकों और अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। उन्होंने धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। उनके लिए अपनी प्रजा का हित सर्वोपरि था उसका धर्म नहीं। उन्होंने प्रशासकीय सेवा में जातीयता और साम्प्रदायिकता को कोई महत्व नहीं दिया।

न्यायप्रियता :

शिवाजी ने यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को न्याय मिले। उनके न्यायालयों में निचले और ऊंचे तबकों के बीच समान व्यवहार किया जाता था।

रचनात्मक संगठन :

शिवाजी ने अपनी प्रशासनिक प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए पारंपरिक मराठा प्रणालियों के साथ-साथ नए और आधुनिक तत्वों को शामिल किया जोकि उस काल के अनुरूप थे।

प्रबंधन और पारदर्शिता :

शिवाजी के प्रशासन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए कड़े नियम लागू किए गए थे। स्पष्ट प्रबंधन और पारदर्शी व्यवस्था शिवाजी के प्रशासन का आधार थी। यही कारण है कि शिवाजी के रहते कभी भी अधिकारियों और जनता में असंतोष नहीं रहा । आवश्यकता के अनुसार शिवाजी ने शासन प्रबंध में मौलिक परिवर्तन व संशोधन भी किए ।

अधिकारियों की निगरानी :

भ्रष्टाचार रोकने के लिए सभी अधिकारियों की नियमित जांच की जाती थी। भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी व कर्मचारी को कड़ी सजा दी जाती थी।

लेखांकन प्रणाली :

राज्य की सभी आय और व्यय का सटीक रिकॉर्ड रखा जाता था। जिसके लिए चिटनिस, मुन्शी, फडनिस, सबनिस, मजूमदार, पोतनिस, जायदार और दाबन जैसे अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त किये गये थे।

नियमित संवाद :

शिवाजी अपने अधिकारियों और प्रजा के साथ नियमित संवाद करते थे। प्रशासनिक व्यवस्था में उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ लगातार संपर्क बनाये रखते थे।

शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था का महत्व :-

शिवाजी की प्रशासनिक प्रणाली ने न केवल मराठा साम्राज्य को मजबूत और संगठित बनाया, बल्कि भारतीय प्रशासनिक इतिहास में एक आदर्श स्थापित किया। उनकी व्यवस्था ने न केवल उनके शासनकाल के दौरान बल्कि बाद के शासकों के लिए भी मार्गदर्शन का काम किया। शिवाजी का प्रशासन उनकी कुशलता, दूरदर्शिता और जनहितकारी दृष्टिकोण का प्रमाण है। शिवाजी महाराज की यह व्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था उनके कुशल नेतृत्व और साम्राज्य निर्माण की अद्वितीय क्षमता को दर्शाती है। उनका शासन भारतीय इतिहास में एक प्रेरणादायी अध्याय के रूप में याद किया जाता है।

निष्कर्ष :

मराठा साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना भारतीय इतिहास में अपनी कुशलता और संगठित दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध है। छत्रपति शिवाजी महाराज की नीतियां और प्रशासनिक सुधार तत्कालीन समाज के लिए क्रांतिकारी साबित हुए। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था उनकी दूरदर्शिता और कुशल नेतृत्व का प्रमाण है। मराठा प्रशासन में शक्ति का विकेंद्रीकरण और जनहित का ध्यान रखा गया। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था उनके जन हितकारी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। उनकी शासन प्रणाली ने मराठा साम्राज्य को सुदृढ़ और संगठित बनाया और यह प्रणाली उनके उत्तराधिकारियों के लिए भी एक आदर्श बनी। शिवाजी की प्रणाली ने न केवल मराठा साम्राज्य को संगठित और मजबूत बनाया, बल्कि आगामी प्रशासन के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी। कुल मिलाकर उनकी प्रशासनिक प्रणालियां अपने युग और देश के अनुरूप थीं। वर्तमान में शिवाजी के प्रशासनिक सिद्धांत जैसे केंद्रीकृत सत्ता, सर्वसुलभ सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोंण, कृषि और कृषकों का उत्थान बेहद प्रासंगिक हैं। यह शोध पत्र उनके प्रशासनिक कौशल और उनकी दीर्घकालिक प्रासंगिकता को समझने में सहायक होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. Saliwan , Edward ; ''The conquers warrior and statesman of India'', page-369
2. Ranade; ''Rise of the Maratha Power''page-62
3. Duff, Grant; ''History of The Marathas''page-112
4. डॉ. मित्तल, ए. के., ''मध्यकालीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास'' साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा, पृष्ठ:419-22।
5. Desai, Ranjit ; "Shivaji: The Great Maratha
6. Sarkar, Jadunath ;"Shivaji and His Times'' 1919.
7. Majumdar, R.C.; The Maratha Supremacy Vol.8, 2001
8. www.testbook.com
9. Sardesai, Govid Sakharam; " New History of Marathas :The Expansion of the Maratha Power (1707-1772), Phinix publication , Bombay.
10. Sinha,H.N.; " The New Foundation of Power'' , proceedings of the Indian History Congress, Vol.23,1960